Delhi are sold in the black-market and only 50 per cent of Delhi quota allotted to the Civil Supplies, Delhi Administration is properly distributed; and

(b) whether in view of general complaints of black-marketing tyres by the tyre Dealers Association Government propose to cancel their quota and allot it to the Civil Supplies Department for distribution?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) and (b). Prior to 12th July 1972, distribution of automobile tyres in Delhi was controlled upto the extent of 50% of supplies. With effect from 12-7-72, the entire supplies of Rayon Tyres of size 9.00-20, 10.00-20 & 8.25-20 and all varieties & sizes of Nylon tyres except 11.00-20 & 8.25-20 have been brought under distribution control and consumers will get their requirements against permits issued by the Delhi Civil Supplies authorities.

**"Guarantee for Work" Scheme**

1428. SHRI DINEN BHATTACHARYYA:
SHRI N. K. SANGHI:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has proposed to the Government that a "guarantee for work" scheme be introduced on All-India scale instead of the present "crash programme"; and

(b) if so, the main features thereof and Government's views on the proposed scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**धनबाद, बिहार के केन्द्रीय खान अनुसन्धान केन्द्र में विस्फोट**

1429. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्फोट के परिणामस्वरुप केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र, धनबाद, बिहार की इमारत हाल में नष्ट हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो विस्फोट के क्या कारण थे तथा उसके लिये किन व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया गया है ;

(ग) उसके परिणामस्वरुप कुल कितनी हानि हुई है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) :** (क) केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र (सी० एम० आर० एस०), धनबाद का मैगजीन भवन, 12 जून, 1972 की रात्रि में हुए विस्फोट के परिणामस्वरूप नष्ट हुआ था ।

(ख) मुख्य निरीक्षक विस्फोटक, नागपुर के अधीन इस मामले की जांच हो रही है । जांच संबंधी प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

(ग) विस्फोटक विभाग, भारत सरकार के विनिर्देशन के अनुसार 1959–60 में निर्मित मगजीन भवन की अनुमानित लागत रु० 3,900/- थी और उसमें रखे हुए विस्फोटक द्रव्यों की कीमत रु० 4,000/- थी ।

(घ) मुख्य विस्फोटक निरीक्षक, नागपुर से जांच संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस मामले पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

**बिहार में सीमेन्ट की कमी**

1430. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सीमेन्ट कम सप्लाई में है और इस कारण बिहार में अनेक सरकारी तथा गैर-सरकारी भवनों के निर्माण में बहुत कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई सूचना अनुरोध अथवा रिपोर्ट भेजी है ;

(ग) क्या बिहार में सीमेन्ट की कमी वैगनों की कम सप्लाई के कारण है अथवा केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा के कारण; और

(घ) यदि कमी इन दोनों कारणों से है तो सरकार ने बिहार की कमी दूर करने के के लिये कार्यवाही की है?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) : जी हाँ, पर्याप्त संचार सुविधाओं की कमी के कारण उत्तरी बिहार में समान्यतया माल नहीं पहुंच पाया जा सकता है इसके प्रमुख कारणों में से गंगा नदी पर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले समुचित रेल संबंध का अभाव है। जापला फैक्टरी के बंद हो जाने तथा मांग बढ़ जाने से संभरण स्थिति और बिगडी; उत्तरी बिहार के जिलों को छोड़कर संभरण स्थिति पिछले वर्ष के स्तर पर ही रखी जा रही है। इन कठिनाइयों के बावजूद ही सरकारी अधिकरणों को महत्वपूर्ण निर्माण कार्य की सभी मांगे पूरी की जा रही है।

(ग) कमी प्रमुख रूप से रेलवे वेगनों के कम संख्या में मिलने, जापला फैक्टरी के बंद होने तथा बिजली बंद होने के कारण हुई। सामान्यरुप से कमी नदी घाटी परियोजनाओं की सीमेंट की भावी मांगों के कारण भी हुई।

(घ) इस क्षेत्र में संभरण बनाने के लिये समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। बरौनी, पटना तथा वाराणसी में रेल/रोड यातायात के लिये सीमेंट के डम्प तथा टर्मिनल स्टेशन बनाए गये हैं ताकि इन स्टेशनों से उत्तरी बिहार के लिये सड़क से यातयात की सुविधा हो जाये। बिहार सरकार ने भी जुलाई, 1972 में एक सीमेंट नियंत्रण आदेश जारी किया है जिससे स्टाकिस्टों की नियुक्तियां तथा उनके द्वारा बिक्री पर राज्य सरकार अब नियंत्रण रखती है। केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरुप जापला सीमेंट फैक्टरी में 5 जुलाई, 1972 से पुनः उत्पादन प्रारंभ हो गया है। यातयात की कठिनाइयों को दूर करने हेतु राज्य सरकार ने सड़क से सीमेंट ले जाने पर अधिक खुदरा मूल्य देने की अनुमति दी है। ऐसी आशा की जाती है कि इन उपायों से संभरण स्थिति में सुधार होगा।

**Grant of Licences and Permits to Industrial/Commercial Establishments in which Shri R. P. Goenka and members of his family are partners**

1431. SRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA:
SHRI ONKAR LAL BERWA:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) the number and nature of licences and permits issued during the last three years to industrial and commrcial establishments in which Shri R. P. Goenka, a Calcutta Industrialist and members of his family are Partners; and

(b) the terms and conditions thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) and (b). The Ministry of Industrial Development is concerned with the issue of licences for establishment of industrial undertakings under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. No "permits" are issued under the Act. The following industrial licences have been granted, during the last three years, to concerns belonging to or controlled by the Industrial House known as the Goenka Group during the last three years :—

| | New Undertakings/ New article | Substantial expansion | Carrying on business | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1969 . . | Nil | 2 | Nil | 2 |
| 1970 . . | Nil | 1 | Nil | 1 |
| 1971 . . | Nil | 1 | 2 | 3 |
| 1972 (Upto 30-6-72) | Nil | .. | .. | .. |
| TOTAL . | Nil | 4 | 2 | 6 |